भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4606

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र

†4606. श्री एम. के. राघवनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत शिकायतों के निवारण में देरी का संज्ञान लिया है, क्योंकि शिकायत निवारण तंत्र के अपीलीय प्राधिकरण का नेतृत्व स्वयं स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार की एलएसजी के स्थान पर संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों को लाकर शिकायत निवारण तंत्र के अपीलीय प्राधिकरण उपबंध में संशोधन करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रेता विनियमन) अधिनियम, 2014 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों की निगरानी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

****